रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062021-227742 CG-DL-E-21062021-227742

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

No. 2501

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISTHA 28, 1943

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

सं. 2/11(2)/07-बीईई.—ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा प्रबंधकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया) विनियम, 2010, का निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिसे केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पिठत धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, इसको उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा।

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, को महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110066 को और ब्यूरो के ई-मेल पर dg-bee@nic.in पर भेजा जा सकता है।

ब्यूरो द्वारा विनियमों के उक्त मसौदे के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, प्राप्त होता है तो उन पर ब्यूरो द्वारा विचार किया जाएगा।

3328 GI/2021 (1)

भाग-I

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा-परीक्षकों, ऊर्जा लेखा-परीक्षकों (भवन) और ऊर्जा प्रबंधकों के लिए प्रमाणन प्रक्रियाएं) कहा जाएगा;
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं (1) इन विनियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ में अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001;
 - (ख) "सलाहकार समिति" का अर्थ है विनियम 13 के उप-विनियम (1) के तहत ब्यूरो द्वारा गठित एक समिति:
 - (ग) "एजेंसी" या एजेंसियों का अर्थ ऊर्जा संरक्षण के नियम 2(ख) (ऊर्जा लेखा-परीक्षकों, ऊर्जा-लेखा परीक्षकों (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक नियमों, 2020 के लिए न्यूनतम योग्यता में परिभाषित एजेंसी से है;
 - (घ) "प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक" या "प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे विनियमन 8 के तहत प्रमाण-पत्र जारी किया गया है;
 - (घक) "प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन)" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे विनियम 8 के तहत प्रमाण-पत्र जारी किया गया है:
 - (ङ) "प्रपत्र" का अर्थ है इन विनियमों से संलग्न एक प्रपत्र;
 - (च) "राष्ट्रीय परीक्षा" का अर्थ है कि इन विनियमों के भाग-2 के अनुसार ऊर्जा लेखा-परीक्षक, ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक के प्रमाणन के लिए ब्यूरो या एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा;
 - (छ) "रजिस्टर" का अर्थ है विनियम 9 के उप-विनियम (1) के तहत ब्यूरो द्वारा बनाए गए प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों, प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों (भवन) और प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों का रजिस्टर:
 - (ज) "अनुसूची" का अर्थ है इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची;
 - (i) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा।
- (2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और जिन्हें प्रयुक्त नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किये गए हैं या उसके तहत बनाए गए नियमों में परिभाषित किये गए है, का वही अर्थ होगा जो क्रमश: उक्त अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट हैं।

भाग- II

राष्ट्रीय परीक्षा

- 3. राष्ट्रीय परीक्षा का आयोजन- (1) ऊर्जा लेखा-परीक्षकों या ऊर्जा लेखा-परीक्षकों (भवन) या ऊर्जा प्रबंधकों के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से, ब्यूरो, या तो स्वयं या एजेंसी के माध्यम से, राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करेगा।
- (2) ब्यूरो समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा उस तारीख, समय और स्थान को सूचित करेगा जहां ऐसी राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित की जाएगी।
 - (3) राष्ट्रीय परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जाएगी।

- 4. राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास ऊर्जा संरक्षण के नियम 4 (ऊर्जा लेखा-परीक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता, ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक) नियम 2020 में निर्दिष्ट योग्यता न हो।
- 5. राष्ट्रीय परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन (1) विनियम 4 के तहत राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए पात्र व्यक्ति ऊर्जा लेखा-परीक्षक और ऊर्जा प्रबंधक के लिए प्रपत्र-। में और ऊर्जा प्रबंधक (भवन) के लिए प्रपत्र-1क में ब्यूरो को आवेदन करके प्रवेश की मांग करेगा।
- (2) प्रत्येक आवेदन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा देय शुल्क की निम्नलिखित राशि के साथ दिया जाएगा, अर्थातु:-

(क) आवेदन शुल्क -

(i) सामान्य उम्मीदवारों के लिए पांच हजार रुपए;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों दो सौ पचास रुपए; के लिए

(iii) 4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम वार्षिक आय वाले अन्य दो हजार पांच सौ रुपए; पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए

(iv) उन उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित दो हजार पांच सौ रुपए; जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की योजना के तहत शामिल नहीं हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और परिसंपत्ति मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

"(ख) परीक्षा शुल्क सहित प्रमाणन शुल्क,-

(i) सामान्य उम्मीदवारों के लिए दस हजार रुपए;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पांच हजार रुपए;

(iii) 4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम वार्षिक आय वाले अन्य पांच हजार रुपए; पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए

ापछड़ा वर्ग के उम्मादवारा के लिए बीस हजार रुपए;

(v) उन उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित पांच हजार रुपए; जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की योजना के तहत शामिल नहीं हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और परिसंपत्ति मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है

"(ग) ऊर्जा प्रबंधक से ऊर्जा लेखा-परीक्षक के लिए प्रमाणन के उन्नयन के लिए, प्रमाणन शुल्क निम्नानुसार होगा:-

(i) सामान्य उम्मीदवारों के लिए प्रति पेपर एक हजार पांच सौ रुपए;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों प्रति पेपर सात सौ पचास रुपए;

(iii) 4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम वार्षिक आय वाले अन्य प्रति पेपर सात सौ पचास रुपए; पिछ,ड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए

(iv) उन उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित प्रति पेपर सात सौ पचास रुपए; जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की योजना के तहत शामिल नहीं हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और परिसंपत्ति मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा <u>अधिसचित</u> किया जा सकता है

(घ) ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) के प्रमाणन के लिए बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क सहित प्रमाणन शुल्क के लिए।

(i) सामान्य उम्मीदवारों के लिए

पांच हजार रुपए:

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए

दो हजार पांच सौ रुपए;

(iii) 4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए

दो हजार पांच सौ रुपए;

(iv) उन उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की योजना के तहत शामिल नहीं हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और परिसंपत्ति मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसुचित किया जा सकता है।

दो हजार पांच सौ रुपए:

- (2क) किसी ऐसे उम्मीदवार द्वारा भुगतान किया गया शुल्क जिसे राष्ट्रीय परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, को किसी भी आधार पर या किसी भी परिस्थिति में वापस या समायोजित नहीं किया जाएगा।
- (3) ऊर्जा लेखा-परीक्षक या ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) या ऊर्जा प्रबंधक के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा के विषय विवरणिका में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। ऐसे विषयों को ब्यूरो की वेबसाइट अर्थात् www.beeindia.gov.in पर भी प्रदर्शित किया जाएगा<u>।</u>
- (3क) नए उम्मीदवारों के मामले में, परीक्षा के लिए विवरणिका और उपर्युक्त वेबसाइट में निर्दिष्ट विषयों पर आधारित पुस्तकें प्रदान की जाएंगी; और
- (3ख) पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के मामले में, पुस्तकों का नवीनतम संस्करण उपर्युक्त ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा या उम्मीदवार इन पुस्तकों की हार्ड कॉपी अतिरिक्त लागत के साथ, यदि कोई हो, जैसा कि ब्युरो द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, ब्युरो या एजेंसी से खरीद सकता है।
- (4) इस तरह की परीक्षा के लिए पात्रता, पाठ्यक्रम और संदर्भ सामग्री सहित राष्ट्रीय परीक्षा के लिए योजना और पद्धतियों वाली एक विवरणिका ब्यूरो द्वारा परीक्षा की वास्तविक तारीख से कम से कम तीन महीने पहले उपलब्ध कराई जाएगी।
- (5) ऐसे पेपरों में, पेपरों का विवरण, परीक्षा की अवधि और उनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम अंक नीचे निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा:-
 - (क) ऊर्जा लेखा-परीक्षक या ऊर्जा प्रबंधक के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा, अर्थात्:

तालिका - I

पेपर नं.	पेपर का विषय	परीक्षा की अवधि	अधिकतम अंक
I	ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा लेखा परीक्षा के सामान्य पहलू।	3 घंटे	150
II	थर्मल उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता	3 घंटे	150
III	इलेक्ट्रिकल उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता	3 घंटे	150
IV	उपकरण और उपयोगिता प्रणालियों के लिए ऊर्जा निष्पादन मूल्यांकन (ओपन बुक परीक्षा)**	2.5 घंटे	100

** अन्य पेपर I, II और III के अलावा, पेपर नंबर IV ऊर्जा लेखा-परीक्षक की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों द्वारा ही दिया जाएगा।

(ख) ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा, अर्थात्:

तालिका - II

पेपर नं.	पेपर का विषय	परीक्षा की अवधि	अधिकतम अंक
I	ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता मूलतत्व (ओपन बुक: ईसीबीसी संहिता)	3 घंटे	150
II	ऊर्जा संरक्षण भवन कोड अनुपालन (ओपन बुक: ईसीबीसी संहिता)	3 घंटे	150

- (6) राष्ट्रीय परीक्षा की योजना निम्न प्रकार होगी:-
 - (क) ऊर्जा प्रबंधक के लिए राष्ट्रीय परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उपर्युक्त तालिका-1 में निर्दिष्ट तीन पेपरों (पेपर- I, पेपर- II और पेपर- III) को उत्तीर्ण करना होगा।
 - (ख) ऊर्जा लेखा-परीक्षक के लिए राष्ट्रीय परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उपर्युक्त तालिका में निर्दिष्ट चार पेपरों (पेपर-I, पेपर- II और पेपर- III और पेपर-IV) को उत्तीर्ण करना होगा।
 - (ग) ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को तालिका II में निर्दिष्ट दो पेपरों (पेपर-1, पेपर-II) को उत्तीर्ण करना होगा।
- 6. राष्ट्रीय परीक्षा के लिए प्रवेश (1) ब्यूरो या एजेंसी, जैसा भी मामला हो, आवेदन-पत्र की जांच के बाद और संतुष्ट होने पर कि आवेदक राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए पात्र है, उसे राष्ट्रीय परीक्षा की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले राष्ट्रीय परीक्षा की जगह, तिथि और समय बताते हुए प्रवेश कार्ड जारी करके उसे राष्ट्रीय परीक्षा के लिए प्रवेश देगा।
- (2) जहां उप-विनियम (1) के तहत आवेदन की जांच करने पर, कोई आवेदक राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य पाया जाता है, उसके आवेदन को लिखित में दर्ज किए जाने के कारणों के साथ अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे तदनुसार सूचित किया जाएगा।
- 7. राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करना (1) यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रीय परीक्षा के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक हासिल करता है तो उसके राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने घोषणा की जाएगी।
- (2) सामान्य उम्मीदवारों के मामले में एक हजार पांच सौ रुपए प्रति पेपर तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और अन्य पिछड़ों के उम्मीदवारों, जिनकी वार्षिक आय चार लाख और पचास हजार रुपए प्रतिवर्ष से कम है, के लिए भी सात सौ पचास रुपए प्रति पेपर के अनुपूरक शुल्क का नई दिल्ली में देय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से भुगतान करने पर ब्यूरो या एजेंसी, जैसा भी मामला हो, द्वारा लगातार छह परीक्षाओं के भीतर किसी असफल उम्मीदवार को प्रति पेपर अधिकतम तीन प्रयास करने की अनुमति दी जाएगी।

भाग- III

ऊर्जा लेखा-परीक्षकों, ऊर्जा लेखा-परीक्षकों (भवन) और ऊर्जा प्रबंधकों का प्रमाणन

8. ऊर्जा लेखा-परीक्षकों, ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधकों का प्रमाणन - (1) ऊर्जा प्रबंधकों, ऊर्जा लेखा-परीक्षकों और ऊर्जा लेखा-परीक्षकों (भवन) के प्रमाणन के उद्देश्य से, ब्यूरो उक्त राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति को क्रमशः प्रपत्र II, प्रपत्र 1क और प्रपत्र ।।ख में प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

- (2) प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक या प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) या प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक वाणिज्यिक भवन और अन्य स्थापना को छोड़कर ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा के उपयोगकर्ताओं के किसी भी उपयोगकर्ता या वर्ग द्वारा ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए गतिविधियों के प्रभारी ऊर्जा प्रबंधक के रूप में नियुक्ति या पदनाम के लिए पात्र होंगे, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है।
- (3) प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक, प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 में निर्दिष्ट कार्यों और कर्तव्यों को करने के लिए पात्र होंगे।
- 9. प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों, प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों (भवन) और प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों का रजिस्टर (1) ब्यूरो प्रपत्र- III में प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों, प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों (भवन) और प्रमाणित ऊर्जा-प्रबंधकों का अलग रजिस्टर बनाएगा और उक्त रजिस्टरों में उन व्यक्तियों का नाम शामिल करेगा जिन्हें विनियम 8 के तहत प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।
- (2) विनियम 9 के उप-विनियम (1) के तहत प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक, प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक के रूप में पंजीकृत होने पर, प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक, प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक को प्रपत्र-IV में दिए गए प्रारूप में एक पहचान-पत्र जारी किया जाएगा।"
- (3) प्रत्येक प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक, ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक अधिनियम की धारा 14 के खंड (I) के तहत नामित उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा लेखा-परीक्षक, ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक के रूप में नामित या नियुक्त करने के लिए पात्र होंगे।
- 10. प्रमाणन की वैधता विनियम 8 के तहत किया गया प्रमाणन प्रपत्र-V में ब्यूरो को किए गए आवेदन पर प्रत्येक पांच वर्ष के बाद पांच वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा।

"बशर्ते कि ऐसा कोई नवीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक, ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक ने इसमें सफलतापूर्वक भाग लिया हो और ब्यूरो या एजेंसी द्वारा आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को उत्तीर्ण किया हो, ब्यूरो द्वारा ऊर्जा लेखा-परीक्षक, ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक के लिए प्रमाण-पत्र के नवीकरण की प्रक्रिया समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।

- 11. सत्यापन रद्द करना (1) ब्यूरो ऊर्जा लेखा-परीक्षक, ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक का सत्यापन उसके खिलाफ की गई शिकायत पर रद्द कर सकता है।
 - (क) पेशेवर कदाचार की किसी चूक पर;
 - (ख) ऊर्जा खपत पर तथ्यों, आंकड़ों या रिपोर्टों की कोई गलत बयानी;
 - (ग) धोखाधड़ी के लिए किया गया कोई कार्य;
 - (घ) विनियम 10 के अनुसार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में भाग लेने और/ या उत्तीर्ण करने में विफलता।

बशर्तें कि ब्यूरो द्वारा ऐसे ऊर्जा लेखा-परीक्षक, ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा कोई सत्यापन रद्द नहीं किया जाएगा।

- (2) जहां उप-विनियम (1) के खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट आधार पर उपर्युक्त पेशेवरों में से किसी का प्रमाणन रद्द कर दिया जाता है, तो उक्त पेशेवर के प्रमाणन को नोटिस में आने या जांच पूरी होने तक ऐसे खंडों में निर्दिष्ट घटना के होने पर तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा; और यदि ऐसे पेशेवर के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उक्त जांच में निर्णायक रूप से साबित कर दिया जाता है, तो उक्त पेशेवर का प्रमाणन रद्द कर दिया जाएगा और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से ऐसे पेशेवरों की सुची वाले रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जाएगा।
- (2क) उप-विनियम (2) में संदर्भित जांच नब्बे दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी। 90 (नब्बे) दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उक्त जांच को पूरा करने में विफल रहने के मामले में, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से उपयुक्त अवधि 60 (साठ) दिनों तक की अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी।
- (3) जहां प्रमाणन रद्द कर दिया गया है और उप-विनियम (1) के खंड (क) से खंड (ब) में निर्दिष्ट आधार पर उसका नाम हटा दिया गया है, वहां ब्यूरो द्वारा रजिस्टर में उसके नाम की बहाली नहीं की जाएगी।

- (4) यदि सत्यापन उप-विनियमन (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट आधार पर रद्द किया गया है, तो ऊर्जा लेखा-परीक्षक या ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) या ऊर्जा प्रबंधक ब्यूरो को सूचित करने पर कि उन्होंने इसमें सफलतापूर्वक भाग लिया है और विनियम 10 के अनुसार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को उत्तीर्ण कर लिया है, रद्द किया गया प्रमाण-पत्र बहाल किया जाएगा।
- 12. प्रमाण-पत्र की प्रति या पहचान पत्र जारी करना (1) जहां विनियम 8 और विनियम 9 के उप विनियम (2) के तहत क्रमशः जारी प्रमाण-पत्र या पहचान-पत्र किसी भी प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक, प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों (भवन) और प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक द्वारा खो दिया गया है, वहां ब्यूरो, इस संबंध में उनके द्वारा किए गए आवेदन पर, संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पक्ष में नई दिल्ली में देय एक सौ रुपए के भुगतान का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र या पहचान-पत्र, जैसा भी मामला हो, जारी कर सकते हैं।
- (2) जहां ब्यूरो द्वारा जारी किसी भी प्रमाण-पत्र या पहचान-पत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ब्यूरो इसके लिए किए गए आवेदन पर और क्षतिग्रस्त प्रमाण-पत्र या पहचान-पत्र लौटाने पर, नई दिल्ली में देय तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट द्वारा एक सौ रुपए के शुल्क के भुगतान पर डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र या पहचान-पत्र जारी कर सकता है।

भाग-IV

सलाहकार समिति

- 13. सलाहकार समितियों का गठन- (1) ब्यूरो इन विनियमों के उद्देश्य से, ऊर्जा लेखा-परीक्षकों, ऊर्जा लेखा-परीक्षकों (भवन) और ऊर्जा प्रबंधकों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा और उनके प्रमाणन और पंजीकरण के लिए एक परीक्षा सलाहकार समिति, एक तकनीकी सलाहकार समिति तथा प्रमाणन और पंजीकरण सलाहकार समिति का गठन कर सकता है।
- (2) प्रत्येक सलाहकार समिति में एक अध्यक्ष होगा और इसमें ब्यूरो द्वारा नामित किए जाने वाले छह से अधिक अन्य व्यक्ति नहीं होंगे जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सलाहकार समिति) विनियम, 2008 के विनियम 3 के अंतर्गत गठित सलाहकार समितियों के सदस्यों में से होंगे।

प्रपत्र — Iक [विनियम 5 [5(क)] देखें] ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन 1. परीक्षा जिसमें आप बैठ रहे हैंपेपर 1 पेपर 22. उम्मीदवारी......स्व-प्रायोजित () उम्मीदवार के हस्ताक्षर: केवल कार्यालय उपयोग के लिए टिप्पणी, यदि कोई हो

3. आवेदक का नाम*			
	गा नाम) ((अंतिम नाम)
4. पिता का नाम*			
5. वर्तमान पता*	स्थायी प	ता *	
शहर*	. पिन कोड*	शहर*	पिन कोड*
राज्य	र	ाज्य	
6. जन्म तिथि*			
(तिरि	थे) (मही	ना) (र	चर्ष)
7. राष्ट्रीयता*: भारतीय	/अन्य (निर्दिष्ट)		
8. समुदाय* : () सामा	न्य ()अ.जा. ()	अ.ज.जा. () अ	ोबीसी
9. लिंग* : () पुरुष	()महिला ()अ	ान्य	
10. रोजगार की स्थिति: () रोजगार प्राप्त () स्व-रोजगार (() बेरोजगार
11. वर्तमान कंपनी विवरण	12. संप	र्क विवरण	
			
पदनाम () ं ० - -		कायालय फान 	
	र पता		
		ईमेल*	
शहरˆ राज्य		माबाइल^	
13. कुल कार्य अनुभव:	वर्षमह	हीने	
14. पसंदीदा परीक्षा केंद्र			
(क) पहली वरीयत तीसरी वरीयता	ा (ख) दूसरी व	रीयता	(ग) तीसरी वरीयता
वर्तमान स्थिति	ऊर्जा प्रबंध	() 和 () ()	
ईए/ ईएम परीक्षा उत्तीर्ण क	रने का विवरण		

क्र.सं.	वर्तमान पद का विवरण	उत्तीर्ण वर्ष (उदाहरण के लिए राष्ट्रीय परीक्षा)	ईए/ ईएम के रूप में प्रमाणन का विवरण वर्ष/ पंजी. सं.	
1.				
2.				
3.				
4.				

नए उम्मीदवार

15. अपेक्षित योग्यता*: शैक्षिक

16. पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अनुभव*:

नियोक्ता/ संगठन का नाम	पदनाम	वर्ष		कार्य की प्रकृति
		से	तक	
	नियोक्ता/ संगठन का नाम	नियोक्ता/ संगठन का नाम पदनाम	नियोक्ता/ संगठन का नाम पदनाम <u>व</u> से	

17.	डीडी नं.*:	राशि (रुपए)	* दिनांक*:
	aैंक का नाम *·		

18. मैं तैयारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करने वाली किसी भी प्रशिक्षण एजेंसी को अपना नाम भेजे जाने के लिए सहमत हूं

() हां () नहीं

प्रपत्र – Iक [विनियम 5[5(क)] देखें]

ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन

1.	परीक्षा	जिसमें	आप	बैठ	रहे	हैं-
----	---------	--------	----	-----	-----	------

पेपर 1

पेपर 2-

2. उम्मीदवारी..... स्व-प्रायोजित ()

उम्मीदवार के हस्ताक्षर: केवल कार्यालय उपयोग के लिए	फोटो पर हस्ताक्षर सहित उम्मीदवार का पासपोर्ट आकार का फोटो
टिप्पणी, यदि कोई हो	
3. आवेदक का नाम* (पहला नाम) (मध्य नाम) (अंतिम नाम)	
4. पिता का नाम*	
5. वर्तमान पता* स्थायी पता * 	
 शहर* पिन कोड* शहर* पिन कोड*	
राज्यराज्य 6. जन्म तिथि* (तिथि) (महीना) (वर्ष)	
7. राष्ट्रीयता*: भारतीय/अन्य (निर्दिष्ट)	
8. समुदाय* : () सामान्य () अ.जा. () अ.ज.जा. () ओबीसी	
9. लिंग*: () पुरुष () महिला () अन्य	
10. रोजगार की स्थिति: () रोजगार प्राप्त () स्व-रोजगार () बेरोजगार	
11. वर्तमान कंपनी विवरण 12. संपर्क विवरण	
पदनाम () कार्यालय फोन कंपनी का नाम और पता फ़ैक्स आवास फोन ईमेल* शहर* पिन कोड*. मोबाइल*	
13. कुल कार्य अनुभव: वर्ष महीने	
14. पसंदीदा परीक्षा केंद्र	

	(क) पहली वरीयता (ख) दूसरी वरीयता	(ग) तीसरी व	ारीयता	
तीसरी व	रीयता				
वर्तमान र् ईए/ ईएम	ऊ	र्जा प्रबंधक () ोई नहीं ()			
क्र.सं. 1.	वर्तमान पद का विवरण	उत्तीर्ण वर्ष (उदाहरण के लिए राष्ट्रीय परीक्षा)	का	के रूप में प्रमा विवरण / पंजी. सं.	णन
2.					
3.					
4.	नए उम्मीदवार नए उम्मीदवार				
	ाक्षित योग्यता*: शैक्षिक ता मानदंडों को पूरा करने के लि	नेए अपेक्षित अनुभव*:			
क्र.सं.	नियोक्ता/ संगठन का नाम	पदनाम	a	र्ष	कार्य की प्रकृति
1.			से	तक	
1.					
2.					
18.	। डीडी नं.*: राशि (र बैंक का नाम *: मैं तैयारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों लिए सहमत हूं				ो अपना नाम भेजे जाने के
	() हां	() नहीं			

प्रपत्र – II

[विनियम 8 देखें] प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक के लिए प्रमाण-पत्र

	यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्रीमाह में आयोजित ऊर्जा प्रत्न/पुत्रीजिन्होंनेमाह में आयोजित ऊर्जा प्रबंधक की राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 के 52) के तहत ऊर्जा प्रबंधक के रूप में अर्हता प्रदान की जाती है। यह प्रमाण-पत्र उसके जारी होने के पांच वर्ष तक के लिए वैध होगा और इसका
ऊर्जा प्रबंधक सं.:/वर्ष	नवीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्त पर किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की मुहर के तहतके दिन को दिया जाता है।
	स्थान: सचिव
	दिनांक: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
	प्रपत्र–IIक [विनियम 8 देखें]
	प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक के लिए प्रमाण-पत्र
	यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्रीमाह में आयोजित ऊर्जा लेखा- का पुत्र/पुत्रीपित्रा उत्तीर्ण की है, को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 के 52) के तहत ऊर्जा लेखा-परीक्षक के रूप में अर्हता प्रदान की जाती है।
ऊर्जा लेखा-परीक्षक सं.:/वर्ष	यह प्रमाण-पत्र उसके जारी होने के पांच वर्ष तक के लिए वैध होगा और इसका नवीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्त पर किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की मुहर के तहतके दिन को दिया जाता है।

	स्थान:	
		सचिव
	दिनांक:	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
	प्रपत्र-॥ख	
	[विनियम 8 देखें	1
	प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भव	न) के लिए प्रमाण-पत्र
	का पुत्र/पुत्री लेखा-परीक्षक (भवन) की राष्ट्रीय	श्री/श्रीमती/सुश्रीमाह में आयोजित ऊर्जा परीक्षा उत्तीर्ण की है, को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) के रूप में अर्हता प्रदान
	नवीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में एक	के पांच वर्ष तक के लिए वैध होगा और इसका बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने की । ब्यूरो की मुहर के तहतके दिन को
ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) सं.:/वर्ष		
	स्थान:	 सचिव
	दिनांक:	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली

"अनुसूची-I

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) में निर्दिष्ट ऊर्जा पेशेवरों के कार्य और जिम्मेदारियां

01. प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक (सीईएम)

प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक एक महत्वपूर्ण पद है और यह संगठन में ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक ऊर्जा प्रबंधन कार्य योजना पर नीति के विकास में नेतृत्व प्रदान करता है और व्यावसायिक ऊर्जा नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक संयंत्र स्तर पर ऊर्जा प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को भी देखता है। उनके पास निम्नलिखित कार्य और जिम्मेदारियां भी होती हैं:

1.1 प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक (सीईएम) के कार्यों और जिम्मेदारियों का नीचे उल्लेख किया गया है:

- एक ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करना, और व्यावसायिक ऊर्जा नीति तैयार करना।
- संगठन में ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित एक वार्षिक गतिविधि योजना तैयार करना;
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ऊर्जा खपत की स्थिति पर ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा उपभोग की प्रास्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रारूप और रीति) नियम 2007 के तहत एक रिपोर्ट तैयार करना और उसे ब्यूरो को एक प्रति के साथ राज्य नामित एजेंसी को प्रस्तुत करना[खंड 14(ठ)];
- अपने अभिहित उपभोक्ता को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा संपरीक्षा करने के लिए रीति और समय अंतराल) विनियम,
 2010 के अनुसार मान्यता-प्राप्त ऊर्जा लेखा-परीक्षक द्वारा ऊर्जा लेखा-परीक्षा के आयोजन के संबंध में दिनांक
 27 मई 2014 के का.आ.1378(अ.) में जारी किए गए निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करना, एवं ऊर्जा संपरीक्षक के सिफारिशों पर की गई कार्रवाइयों के ब्योरे ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा संपरीक्षक की सिफारिश पर खपत की गई ऊर्जा और की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप और रीति तथा समय) नियम
 2008 के अनुसार संबंधित राज्य अभिहित अभिकरण को तथा एक प्रति ब्यूरो को जमा करना [खंड 14(ट))]।
- प्रचालन स्तरों पर ऊर्जा दक्षता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास और प्रबंधन:
- ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण सुधार की एकीकृत प्रणाली विकसित करना;
- ऊर्जा लागत को कम करने के लिए निगरानी और प्रक्रिया नियंत्रण में सुधार करने के लिए गतिविधियां शुरू करना;
- बाहरी एजेंसियों के माध्यम से ऊर्जा लेखा परीक्षा/ दक्षता सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना;
- संघ के माध्यम से एक ही क्षेत्र के अन्य ऊर्जा-प्रबंधकों के साथ सूचना आदान-प्रदान स्थापित करना/ उसमें भाग लेना:
- अधिनियम के संदर्भ में मांगे गए ब्यूरो और संबंधित राज्य नामित एजेंसी को सूचना प्रदान करना।

02. प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (सीईए) के कार्य और जिम्मेदारियां

प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक प्रत्येक चरण में ऊर्जा के दक्ष उपयोग के प्रवाह और ऊर्जा की इंगित बर्बादी की पहचान करने की दृष्टि से ताप और द्रव्यमान संतुलन बनाने सहित प्रमुख ऊर्जा खपत खंडों और उपकरणों पर किए गए एक व्यवस्थित अध्ययन में शामिल होता है। अच्छी तरह से आयोजित ऊर्जा ऑडिट से ऊर्जा की बर्बादी के क्षेत्रों का पता चलता है और यह संयंत्र के सभी खंडों में संभावित ऊर्जा बचत के लिए सुझाव देगा।

02.1 प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (सीईए) के कार्य और जिम्मेदारियां

- ऊर्जा लेखा-परीक्षा दल के सहयोगी या सदस्य के रूप में मान्यता-प्राप्त ऊर्जा लेखा-परीक्षक के निर्देशन में एक विस्तृत ऊर्जा संपरीक्षण करना;
- ऊर्जा की खपत की मात्रा निर्धारित करना और आधारभूत ऊर्जा जानकारी स्थापित करना;

- ऊर्जा और द्रव्य संतुलन बनाना;
- ऊर्जा और उपयोगिता प्रणालियों का दक्षता मूल्यांकन करना;
- मौजूदा ऊर्जा खपत के स्तर के साथ ऊर्जा मानदंडों की तुलना करना;
- ऊर्जा बचत उपायों की पहचान करना और प्राथमिकता देना;
- ऊर्जा बचत उपायों की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का विश्लेषण करना;
- ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की सिफारिश करना:
- कार्यान्वयन के लिए रिपोर्ट लेखन, प्रस्तुति और अनुवर्ती कार्रवाई करना।

02.2 इसलिए प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक नीचे पैरा 03 में निर्दिष्ट ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट करने के लिए अधिकृत नहीं है। प्रमाणन अन्य शर्तों के साथ-साथ पूर्वापेक्षाओं में से एक है, जिसे मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने से पहले ऊर्जा लेखा-परीक्षक द्वारा पूरा किया जाना है।

03.3. प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) के कार्य और जिम्मेदारियां

प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षकों (भवन) के कार्य और जिम्मेदारियां: (1) प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन), जिसमें प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक और पंजीकृत वास्तुकार शामिल हैं, और जिनकी सेवाएं मालिक द्वारा किराए पर ली जाती हैं, संयुक्त रूप से निम्नलिखित को सत्यापित और प्रमाणित करेंगे, अर्थात्:-

- (क) डिजाइन मानदंडों, परियोजना के ऊर्जा लक्ष्यों, ऊर्जा प्रणालियों की निष्पादन सत्यापन योजना और मॉडलिंग दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भवन का डिजाइन;
- (ख) विचाराधीन परियोजना के लिए डिजाइन दृष्टिकोण के आधार पर ऊर्जा संरक्षण उपाय;
- (ग) निर्माण और अनुपालन दस्तावेज, अनुपालन प्रपत्र और जांच-सूची यह सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट करना कि भवन इन नियमों का अनुपालन करता है;
- (घ) प्रस्तावित भवन डिजाइन का ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक अनुपात;
- (ङ) भवन परिमट या भवन निर्माण के मुद्दे या अधिभोग चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले ऐसे असामान्य तकनीकी मुद्दों पर रिपोर्ट करना, जो भवन उप-कानूनों के तहत क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन है;
- (च) ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियमों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने और देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के तहत विभिन्न श्रेणियों के भवनों के लिए मानदंडों और मानकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता समितियों को इनपुट प्रदान करना।
- (2) प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) इस आशय के लिए अपनी मुहर और हस्ताक्षर के तहत एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि ड्राइंग, विनिर्देश, निर्माण दस्तावेज, भवन आवरण, सुविधा प्रणाली और नियंत्रण, प्रकाश-व्यवस्था और विद्युत शक्ति प्रणाली को कवर करने के लिए तैयार किए गए अनुपालन प्रपत्र, जहां कभी भी लागू हो, और क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए अन्य सभी कोड संबंधित दस्तावेज, इन नियमों के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- (3) प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) डिजाइन चरण से भवन निर्माण कार्यों के निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें इन नियमों के तहत उनका उपयोग शामिल होगा और उनके प्रमाणन के आधार पर क्षेत्राधिकार रखने वाला प्राधिकरण भवन परमिट, भवन निर्माण को मंजूरी देगा, निर्गम एवं पूर्ण और अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) प्रमाणित ऊर्जा लेखा-परीक्षक (भवन) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन काम करने वाला कोई भी पेशेवर या कर्मचारी इन नियमों के अंतर्गत आने वाले संबंधित भवन के निर्माण या परिवर्तन के संबंध में किसी कार्य में न लगा हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारी के हितों के साथ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के साथ हितों का कोई टकराव न हो।"

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन**-**III/4/असा./115/2021-22]

टिप्पण: दिनांक 15.10.2010 की प्रमुख विनियम अधिसूचना सं. 02/11(2)/07-बीईई, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-III. खंड-IV में दिनांक 30.10.2010 को प्रकाशित की गई थी।"

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

No. 2/11(2)/07-BEE.—The following draft of certain regulations to amend the Bureau of Energy Efficiency (Certification Procedures for Energy Managers) Regulations, 2010 which the Bureau, with the previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 58 read with clause (r) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act for the information of all persons likely to the affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Objection or suggestion, if any, may be addressed to the Director General, Bureau of Energy Efficiency, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, Sector-1, New Delhi – 110066 and may be sent at the e-mail address of the Bureau at dg-bee@nic.in

The objections or suggestions, if any, which may be received from any person with respect to the said draft regulations within the period so specified, shall be considered by the Bureau

PART I

PRELIMINARY

- **1. Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Certification Procedures for energy auditors, energy auditors (Building) and energy managers) Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions. (1) In these regulations, unless the context other Wise requires,-
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;
 - (b) "Advisory Committee" means a committee constituted by the Bureau under sub-regulation (1) of regulation 13:
 - (c) "agency" or agencies means the agency as defined in rule 2(b) of Energy Conservation (Minimum Qualification for Energy Auditors, Energy Auditors (Building) and Energy Managers Rules, 2020;
 - (d) "Certified Energy Auditor" or "Certified Energy Manager" means a person who has been issued a certificate as such under regulation 8;
 - (da) "Certified Energy Auditor (Building)" means a person who has been issued a certificate as such under regulation 8;
 - (e) "Form" means a form appended to these regulations;
 - (f) "National Examination" means the national exam conducted by Bureau or agency for certification of Energy Auditor, Energy Auditor (Building) and Energy Manager in accordance with Part-II of these regulations;

- (g) "Register" means a Register of Certified Energy Auditors, Certified Energy Auditors (Building) and Certified Energy Managers maintained by the Bureau under sub-regulation (1) of regulation 9;
- (h) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations;
- (i) "Section" means section of the Act.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act or rules.

PART II

NATIONAL EXAMINATION

- **3. Conduct of National Examination.-** (1) For the purpose of certification of Energy Auditors or Energy Auditors (Building) or Energy Managers, the Bureau shall, either by itself or through agency, conduct National Examination.
- (2) The Bureau shall, by publication in the newspaper, notify the date, time and place where such National Examination shall be conducted.
 - (3) The National Examination shall be conducted in English medium.
- **4. Eligibility for appearing in National Examination.-** No person shall be eligible to appear for National Examination unless he possesses qualifications specified in the rule 4 of the Energy Conservation (Minimum Qualification for Energy Auditors, Energy Auditors (Building) and Energy Managers) Rules 2020.
- **5. Application for admission to National Examination.-** (1) A person who is eligible to appear for the National Examination under regulation 4 shall seek admission for such examination by making an application to the Bureau in Form-I for Energy Auditor and Energy Manager and in Form-IA for Energy Auditor (Building).
- (2) Each application shall be accompanied by the following amount of fee payable by demand draft drawn in favor of the Bureau of Energy Efficiency New Delhi, namely:-

(a) Application fee -

(i) for general candidates rupees five thousand; for candidates belonging to the Scheduled Castes or (ii) rupees two hundred and fifty; the Scheduled Tribes for candidates belonging to Other Backward Classes (iii) having annual income of less than Rs.4.5 lakhs per rupees two thousand five hundred; for candidates who are not covered under scheme of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Class and fulfil income and asset criteria for (iv) Rupees two thousand five hundred; economically weaker class as may be notified by the Central Government

"(b) Certification fee including Examination fee,-

for general candidates

Central Government

(i)

for candidates belonging to the Scheduled Castes or (ii) rupees five thousand; the Scheduled Tribes for candidates belonging to Other Backward Classes having annual income of less than Rs.4.5 lakhs per (iii) rupees five thousand; annum (iv) for company sponsored candidates rupees twenty thousand; for candidates who are not covered under scheme of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Class and fulfil income and asset criteria for (v) rupees five thousand; economically weaker class as may be notified by the

"(c) For upgradation of certification from Energy Manager to Energy Auditor, the certification fee shall be as under: -

(i) for general candidates

rupees one thousand five hundred per paper;

rupees ten thousand;

economically weaker class as may be notified by the

Central Government

for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes
for candidates belonging to Other Backward Classes having annual income of less than Rs.4.5 lakhs per annum
for candidates who are not covered under scheme of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward
(iv) Class and fulfil income and asset criteria for rupees seven hundred fifty per paper;

(d) For certification fee including Examination Fee for candidates appearing for certification of Energy Auditor (Building):-

(i) for general candidates rupees five thousand; for candidates belonging to the Scheduled Castes or (ii) rupees two thousand five hundred; the Scheduled Tribes (iii) for candidates belonging to Other Backward Classes rupees two thousand five hundred;" having annual income of less than Rs.4.5 lakhs per annum for candidates who are not covered under scheme of (iv) rupees two thousand five hundred;" Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Class and fulfil income and asset criteria for economically weaker class as may be notified by the Central Government

- (2A) The fees paid by a candidate who has been admitted to the National Examination, shall not be refunded or adjusted on any ground or under any circumstances.
- (3) Subjects for National Examination for certification of Energy Auditor or Energy Auditor (Buildings) or Energy Manager shall be as specified in the prospectus. Such subjects shall also be displayed on the website of Bureau, namely www.beeindia.gov.in.
- (3A) In case of fresh candidates, books based on subjects specified in the prospectus and aforesaid website shall be provided for the examination; and
- (3B) In case of candidates appearing for supplementary examination, latest version of books shall be available on aforesaid Bureau's website or candidate may purchase hard copy of these books from Bureau or from the agency, with an additional cost, if any, as may be specified by the Bureau from time to time.
- (4) A prospectus containing scheme and modalities for the National Examination including eligibility, syllabus and reference material for such examination, shall be made available by the Bureau at least three months before the actual date of examination.
- (5) The details of papers, the duration of examination, in such papers and maximum marks for each of them shall be as specified below: -
 - (a) The National Examination for Certification of Energy Auditor or Energy Manager, namely:

Table - I

Paper No.	Subject of the paper	Duration of the examination	Max Marks
I	General Aspects of Energy Management & Energy Audit.	3 Hrs	150
II	Energy Efficiency in Thermal Utilities	3 Hrs	150
III	Energy Efficiency in Electrical Utilities	3 Hrs	150
IV	Energy Performance Assessment for Equipment and Utility systems (Open Book Examination) **	2.5 Hrs	100

^{**} Paper No. IV shall be required to be given by only the candidates appearing for examination of Energy Auditor in addition to other Papers I, II and III.

(b) The National Examination for Certification of Energy Auditor (Buildings), namely:

Table – II

Paper No.	Subject of the paper	Duration of the examination	Max Marks
I	Energy Conservation Building Codes Fundamentals (Open Book: ECBC Codes)	3 Hrs	150
II	Energy Conservation Building Codes Compliance (Open Book: ECBC Codes)	3 Hrs	150

- (6) The scheme for the national examination shall be as under: -
 - (a) The candidates appearing in national examination for energy manager shall be required to qualify the three papers –(Paper-I, Paper -II and Paper-III) as specified in the above Table-I
 - (b) The candidates appearing in the national examination for energy auditor shall be required to qualify the four papers (Paper-I, Paper -II, Paper-III and Paper-IV) as specified in the above Table I;
 - (c) The candidates appearing in national examination for Certification of Energy Auditor (Buildings) shall be required to qualify two papers (Paper -I, Paper II) as specified in Table II."
- **6. Admission for the National Examination.-** (1) The Bureau, or the agency, as the case may be, shall, after scrutiny of application form and being satisfied that the applicant is eligible to appear for the National Examination, admit him for the National Examination by issuing him an admission card stating the place, date and time of the National Examination at least fifteen days before the date of the National Examination.
- (2) Where on scrutiny of the application under sub-regulation (1), an applicant is found ineligible to appear for National Examination, his application shall be rejected for reasons to be recorded in writing and he shall be intimated accordingly.
- **7. Passing of National Examination.-** (1) A candidate shall be declared to have passed the National Examination if he secures a minimum of fifty percent. marks in each paper for the National Examination.
- (2) An unsuccessful candidate shall be allowed to take a maximum of three attempts per paper within six consecutive examinations held by the Bureau or the agency, as the case may be, on payment of supplementary fee of rupees one thousand five hundred per paper in the case of general candidates and rupees seven hundred and fifty per paper for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and also for Other Backward Classes candidates having annual income of less than four lakh and fifty thousand per annum, by means of demand draft drawn in favour of Bureau of Energy Efficiency, payable at New Delhi.

PART III

CERTIFICATION OF ENERGY AUDITORS, ENERGY AUDITORS (BUILDING) AND ENERGY MANAGERS

- **8.** Certification of Energy Auditors, Energy Auditor (Building), and Energy Managers. (1) For the purpose of certification of Energy Managers, Energy Auditors and Energy Auditors (Building), the Bureau shall issue a certificate in Form II, Form IIA and Form IIB, respectively, to the person who has passed the said National Examination.
- (2) The Certified Energy Auditor or Certified Energy Auditor (Buildings) or Certified Energy Manager shall be eligible for appointment or designation as Energy Manager in-charge of activities for efficient use of energy and its conservation by any user or class of users of energy in the energy intensive industries except in the commercial building and others establishment, as specified in the Schedule to the Act.,
- (3) The Certified Energy Auditor, Certified Energy Auditor (Building) and Certified Energy Manager shall be eligible for perform the functions and duties as specified in Schedule-I annexed to these regulations.
- 9. Register of Certified Energy Auditors, Certified Energy Auditors (Building) and Certified Energy Managers. (1) The Bureau shall maintain separate Register of Certified Energy Auditors, Certified Energy Auditors (Building) and Certified Energy Managers in Form-III and include in the said registers the name of persons to whom certificates have been issued under regulation 8."
- (2) On being registered as Certified Energy Auditor, Certified Energy Auditor (Building) and certified energy manager under sub-regulation (1) of regulation 9, the certified energy auditor, certified energy auditor (Buildings) and certified energy manager shall be issued an identity card in the format given in Form-IV."
- (3) Each Certified Energy Auditor, Energy Auditor (Building) and Energy Manager shall be eligible to be designated or appointed as Energy Auditor, Energy Auditor (Building) and Energy Manager by the designated consumer under Clause (l) of section 14 of the Act.

- **10. Validity of certification** .- The certification made under regulation 8 shall be valid for a period of five years and renewable after every five years on an application made to the Bureau in Form —V:
- "Provided that no such renewal shall be made unless the Certified Energy Auditor, Energy Auditor (Building), and Energy Manager has successfully attended and passed the Refresher Course and Assessment conducted by the Bureau or agency, procedure for renewal of certificate for Energy Auditor Energy Auditor (Building), and Energy Manager shall be notified by Bureau from time to time.
- **11. Cancellation of certification.-**(1) The Bureau may cancel the certification of an Energy Auditor, Energy Auditor (Building) and Energy Manager on a complaint made against him for-
 - (a) any commission or omission amounting to professional misconduct;
 - (b) any misrepresentation of facts, data or reports on energy consumption;
 - (c) any act amounting to fraud;
 - (d) failure to attend and/or pass the Refresher Course and Assessment as per Regulation 10.

Provided that no such cancellation shall be done by the Bureau without giving an opportunity of being heard to such Energy Auditor, Energy Auditor (Building) and Energy Manager.

- (2)Where the certification of any of the aforesaid professionals is cancelled on the grounds specified in clause (a) to clause (c) of sub-regulation (1), the certification of the said professional shall be placed under suspension immediately on coming to notice or happening of an event specified in such clauses until inquiry is completed; and in case, the allegations leveled against such professional are conclusively proved in the said inquiry, the certification of the said professional shall be cancelled and his name shall be removed from the register containing the list of such professionals with the approval of the competent authority.
- (2A) the inquiry referred to in sub-regulation (2) above shall be completed in a period not exceeding ninety days. In case of the failure to complete the said inquiry within the specified period of 90 (ninety) days, the term shall be extended for a suitable period not exceeding up to 60 (sixty) days with the approval of the competent authority.
- (3) Where the certification has been cancelled and his name has been removed on grounds specified in clause (a) to clause (c) of sub-regulation (1), no restoration of his name in the register shall be made by the Bureau.
- (4) In case the cancellation has been done on grounds specified in clause (d) of sub-regulation (1), cancellation of the certificate shall be restored as soon as Energy Auditor or Energy Auditor (Building) or Energy Manager informs the Bureau that he/she has successfully attended and passed the refresher course and assessment in accordance with Regulation 10
- **12. Issue of duplicate certificate or identity card.-** (1) Where the certificate or identity card issued respectively under regulation 8 and sub regulation (2) of regulation 9 has been lost by any of the Certified Energy Auditor, Certified Energy Auditors (Building) and Certified Energy Manager, the Bureau may, on an application made by him in this behalf, duly supported by a copy of first information report lodged with the concerned police station, issue a duplicate certificate or identity card, as the case may be, on payment of a fee of rupees one hundred by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, payable at New Delhi.
- (2) Where any certificate or identity card issued by the Bureau is damaged, the Bureau may on an application made in this behalf and on surrender of damaged certificate or identity card, issue a duplicate certificate or identity card on payment of a fee of rupees one hundred by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, payable at New Delhi.

PART IV ADVISORY COMMITTEE

- **13. Constitution of Advisory Committees.-** (1) The Bureau may, for the purpose of these regulations, national examination for Energy Auditors, Energy Auditors (Building), and Energy Managers and for their certification and registration constitute an Examination Advisory Committee, a Technical Advisory Committee and a Certification and Registration Advisory Committee.
- (2) Each Advisory Committee shall consist of a Chairperson and not more than six other persons to be nominated by the Bureau from amongst members of the Advisory Committees constituted under regulation 3 of the Bureau of Energy Efficiency (Advisory Committees) Regulations, 2008.

FORM – IA

API	PLICATION FOR APPEA	ARING IN THE			ON FOR CER	TIFICATION OF
1. Exam Paper 1 Paper 2			AUDITOR	(BUILDINGS)		
1 apci 2	2. Candidature	Self-spon	nsored ()			
Signa	ture of Candidate:	-				Passport size Photograph of the candidate with
		For Office Us	se Only			signature across the photo.
Rema	rks if any					
3.	Name of the Applicant*	(First Name)	(Middle l	Name)	 (Last I	
4. 5.	Fathers Name* Present Address*		nent Addres	 s*		
5.	riesent Address			s ·		
	City* Pin C	ode*	City*	Pin Coc	le*	
6.	Date of Birth*					
7.	Nationality*:	(Date) Indian/Others (S	(Month) ((Year)		
8.	Community*:	() General () SC ()	ST () OBC		
9.	Sex*:	() Male ()]	Female (Others		
10.				nployed () Une	mployed	
11.	Present Company Details			Contact Details		
	Designation		(Office Phone		
	Company Name& Addre			Fax		
				Res. Phone		
	City* Pin C	Code*	Mobile*	Email*		
13. 14.	Total Work Experience: Examination Centre prefer	erred				
3rdPrefe	(a) 1st Preference	(b) 2nd Preferei	nce	(c) 3rdPrefere	ence	•••••
	Position	Energy Auditor Energy Manage	er ()		
Details	of Passing the EA/EM exa	None mination		()		
S. No	Details of Present position		assing (eg. Examination	Details of Certi EA/EM Year/Regd. No		
1.						
2.						
3.						
4.	Fresh Candidate					
1.5						
15.	Requisite Qualifications* Educational	:				
16.	Requisite Experience for	fulfilling the eligi	ibility criter	ia*:		
	-		•			

S. No.	Name of Employer/	Designation	Yea	ar	Nature of work	
	Organization		From	To		
1.						
2.						
	DD No.*: Amou Bank Name*:	ınt (Rs)*:	Date*: .			
18.						
	() Yes () No				

FORM – IA						
[Refer regulation 5(5(a))] APPLICATION FOR APPEARING IN THE NATIONAL EXAMINATION FOR CERTIFICATION OF ENERGY AUDITORS (BUILDINGS)						
1. Examination you are appearing for- Paper 1 Paper 2-						
2. Candidature Self-sponsored ()						
Signature of Candidate:	Passport size Photograph of the candidate with					
For Office Use Only	signature across					
	the photo.					
Remarks if any						
3. Name of the Applicant* (First Name) (Middle Name) (Last Name)						
 4. Fathers Name* 5. Present Address* Permanent Address* 	,					
City* Pin Code* City* Pin Code* State						
6. Date of Birth*						
(Date) (Month) (Year) 7. Nationality*: Indian/Others (Specify)						
8. Community*: () General () SC () ST () OBC						
9. Sex*: () Male () Female () Others						
10. Employment Status: () Employed () Self Employed () Unemployed						
11. Present Company Details 12. Contact Details						
Designation						
Res. Phone						
Email*						
City* Pin Code* Mobile*						
State						
13. Total Work Experience: Years Months14. Examination Centre preferred						
(a) 1st Preference (b) 2nd Preference (c) 3rdPreference						
3 rd Preference						
Present Position Energy Auditor ()						
Energy Manager ()						
None () Details of Passing the EA/EM examination						

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23

S. No.	Details of Present position	Year of Passing (eg. 1National Examination	Details of Ce EA/EM Year/Regd. N		
1.					
2.					
3. 4.					
	Fresh Candidate				
	Requisite Qualifications*: Educational Requisite Experience for fulfi	illing the eligibility criteria	*:		
	Educational Requisite Experience for fulfi	illing the eligibility criteria Designation	*: Ye	ar	Nature of work
6.	Educational			ar To	Nature of work
6.	Educational Requisite Experience for fulfi Name of Employer/		Yea		Nature of work
6. S. No	Educational Requisite Experience for fulfi Name of Employer/		Yea		Nature of work
6. S. No	Educational Requisite Experience for fulfi Name of Employer/		Yea		Nature of work

	FORM -	- II
•	[Refer regula CERTIFICATE FOR CERTIFI	-
	Mr./Mrs.	Mrs./Ms Son/Daughter of who has passed the National Examination for month of is qualified as Energy Manager on Act, 2001 (52 of 2001).
Energy ManagerNo:/Year	the certificate and shall be refresher training course one	d for five years with effect from the award of renewed subject to attending the prescribed ce in every five years. Given under the seal of acy, thisday of
	Place:	
	_	Secretary
	Date:	Bureau of Energy Efficiency, New Delhi

	FORM – [Refer regul CERTIFICATE FOR CERTIF	ulation 8]
	Mr./Mrs Energy Auditor held in t	Mr./Mrs./Ms
	certificate and shall l refresher training course	be renewed subject to attending the prescribed se once in every five years. Given under the seal of the riency, thisday of
Energy Auditor No:/Year	Place:	Secretary
	Date:	Bureau of Energy Efficiency, New Delhi

	FORM – IIB					
[Refer regulation 8] CERTIFICATE FOR CERTIFIED ENERGY AUDITOR (BUILDING)						
	This is to certify that Mr./Mrs./Ms	al Examination for s Energy Auditor (2001). The second of the award of the grade the prescribed under the seal of the				
Energy Auditor (Building)No:/Year	Place: Secreta Date: Bureau of Energy Efficiency					

"SCHEDULE-I

Functions and responsibilities of Energy Professionals specified in the Energy Conservation Act, 2001 (52 0f 2001)

01. Certified Energy Manager (CEM)

Certified Energy Manager occupies an important position and is the focal point of all the activities pertaining to energy management in the organization. The certified energy manager provides leadership in the development of policy on Energy Management Action Plan and plays a key role in the formulation of corporate energy policy. Certified Energy managers also perform the activities related with Energy Management, Project Management, Personnel Management and Financial Management at the plant level. He also further have following functions and responsibilities:

1.1 Functions and Responsibilities of Certified Energy Manager (CEM) are highlighted below:

- Establish an energy conservation cell, and formulate corporate energy policy.
- Prepare an annual activity plan pertaining to energy management in the organization;
- Prepare a report on status of Energy Consumption at the end of every financial year and submit to the State Designated Agency, with a copy to the Bureau, under the Energy Conservation (the form and manner for submission of report on the status of energy consumption by the Designated Consumers' Rules, 2007[(Clauses 14(1)];
- Ensure direction issued to his Designated Consumer vide S.O.1378(E) dated the 27th May, 2014 regarding conduct of energy audit conducted by an accredited energy auditor in accordance with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulations, 2010 is complied with and details of the action taken on the recommendations of accredited energy auditor is furnished to the concerned State Designated Agency, with a copy to the Bureau, in accordance with the Energy Conservation (Form and Manner and Time for Furnishing Information With Regard to the Energy Consumed and Action Taken on Recommendations of Accredited Energy Auditor) Rules, 2008 [14(k))].
- Develop and manage training programme for energy efficiency at operating levels;
- Develop integrated system of energy efficiency and environmental improvement;
- Initiate activities to improve monitoring and process control to reduce energy costs;
- Co-ordinate implementation of energy audit/efficiency improvement projects through external agencies;
- Establish / participate in information exchange with other energy managers of the same sector through association;
- Provide information to Bureau and the concerned State Designated Agency as demanded in terms of the Act.

02. Functions and Responsibilities of Certified Energy Auditor (CEA)

Certified Energy Auditor involves a systematic study undertaken on major energy consuming sections and equipment including construction of heat and mass balance with a view to identify the flow of energy efficient use of energy in each of the steps and pin-point wastage of energy. A well conducted energy audit would reveal the areas of wastage of energy and it would lead to suggestions for possible energy savings in all sections of a plant

02.1 Functions and Responsibilities of Certified Energy Auditor (CEA)

- Carry out a detailed energy audit under the direction of Accredited Energy Auditor as an associate or member of energy audit team;
- Quantify energy consumption and establish base line energy information;
- Construct energy and material balance;
- Perform efficiency evaluation of energy & utility systems;
- Compare energy norms with existing energy consumption levels;
- Identify and prioritization of energy saving measures;
- Analyse technical and financial feasibility of energy saving measures;
- Recommend energy efficient technologies and alternate energy sources;
- Report writing, presentation and follow up for implementation.

02.2The Certified Energy Auditor, as such, is not authorized to conduct mandatory energy audits under the Energy Conservation Act as specified in para 03 below. Certification is one of the prerequisites along with other conditions, which have to be fulfilled by an energy auditor before applying for accreditation.

03.3. Functions and Responsibilities of Certified Energy Auditors (Buildings)

Functions and responsibility of the Certified Energy Auditors (Building): (1) The Certified Energy Auditors (Building), comprising of certified Energy Auditor and registered Architect whose services are hired by the owner shall jointly verify and certify the following, namely: -

- (a) design of the building keeping in view the design criteria, energy goals of the project, energy systems performance verification plan, and the modeling approach;
- (b) energy conservation measures based on the design approach for the project under consideration;
- (c) construction and compliance documents, compliance forms and checklists specified to ensure that the building complies with these rules;

- (d) energy performance index ratio of the proposed building design;
- (e) report on such unusual technical issues that may arise due to issue of building permit or construction of building or during occupancy stage subject to approval of the authority having jurisdiction under the building bye-laws;
- (f) provide inputs to the National and State Energy Conservation Building Code Committees to facilitate the implementation of the Energy Conservation Building Code rules and to promote norms and standards for various categories of buildings under various climatic zones of the country.
- (2) The Certified Energy Auditors (Building) shall furnish a certificate under his seal and signature to the effect that drawings, specifications, construction documents, compliance Forms prepared covering building envelope, comfort system and controls, lighting and electrical power systems, where ever applicable, and all other Code related documentation prepared for submission to the authority having jurisdiction, ensure compliance with the provision of these rules.
- (3) The Certified Energy Auditors (Building) shall exercise the powers of inspection of the building works from the design stage to commissioning of buildings including their uses under these rules and based on his certification the authority having jurisdiction shall issue building permit, approve construction of building, issue and completion and occupancy certificate.
- (4) The Certified Energy Auditors (Building) shall ensure that no such professional or employee working under him/her is engaged in any work in connection with the construction or alteration of the concerned building covered under these rules to ensure that there is no conflict of interest with his/her official duties with the interests of the authority having jurisdiction."

ABHAY BAKRE, Director General [ADVT.-III/4/Exty./115/2021-22]

Note : The principal regulations were published *vide* notification No. 02/11(2)/07-BEE, dated 15.10.2010. in the Gazette of India, extraordinary Part-III, section-IV, dated 30.10.2010."